बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 जीव 1940 (२०)
(सं ० पटना १२११) पटना, सोमवार, ३१ दिसम्बर २०१८

वाणिज्य—कर विभाग

अधिसूचना
31 दिसम्बर 2018
अधिसूचना संख्या २४/२०१८—राज्य कर (दर)
एस० ओ० २७६ दिनांक ३१ दिसम्बर २०१८—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७
(२०१७ का १२) की धारा ९ की उपधारा (१) और धारा १५ की उप धारा (५) के तहत प्रदत्त शक्तियों
का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, वाणिज्य—कर
विभाग की अधिसूचना संख्या १/२०१७—राज्य कर (दर), दिनांक २९ जून, २०१७, जिसे बिहार गजट
असाधारण अंक संख्या—५४४, दिनांक २९ जून, २०१७ द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी
निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा—

उक्त अधिसूचना में—
(क) प्रारंभिक पैराग्राफ में, शब्द, कोष्ठक और अंक "धारा ९ की उप धारा (१)" के
पश्चात, कोष्ठक और अंक "और धारा १५ की उप धारा (५)" को अंत:स्थापित किया
जाएगा;
(ख) अनुसूची ।- २.५% में,-
(i) क्रम संख्या २३, २४ और उससे संबंधित प्रविष्टियों को विलोपित कर दिया
जाएगा;
(ii) क्रम संख्या १२३ और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम
संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा.यथा:-

| "१२३क" | २५१५ ११:०० | मार्बल और ट्रावर्टाइन, क़ुड या फली ट्रिम्ज़। |
(iii) क्रम संख्या 198क को अब क्रम संख्या 198कक लिखा जाएगा और इस तरह लिखे गए क्रम संख्या 198कक के पहले निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा।

<table>
<thead>
<tr>
<th>“198क”</th>
<th>4501</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>प्राकृतिक कार्य, कच्चा या साधारण रूप से तैयार किया गया।</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(iv) क्रम संख्या 224 में, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “63 [6305 32 00, 6309 से मिलना]” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(v) क्रम संख्या 225 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “कुटियार जिसका विक्रय मूल्य 1000 रुपए प्रति जोड़ी से अधिक न हो” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(vi) क्रम संख्या 225क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

<table>
<thead>
<tr>
<th>“225क”</th>
<th>6602 00 00</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>वांकिंग स्टीक्स, जिसमें सीट स्टीक्स भी आती है</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>225ख</th>
<th>6815</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>पलाई ऐश की ईटें या पलाई ऐश जिसमें कुल मिलाकर 90 प्रतिशत या इससे अधिक पलाई ऐश हो; पलाई ऐश ब्लॉक्स;</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(vii) क्रम संख्या 234 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, अंत में निम्नलिखित स्पष्टकरण को अंतःस्थापित किया जाएगा। यथा:-

“स्पष्टकरण: यदि इस प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट किसी वस्तु की किसी आपूर्तिकर्ता के द्वारा आपूर्ति की जाती है और इसके साथ ही अन्य वस्तुओं और सेवाओं की भी आपूर्ति होती है तथा उनसे से एक, जो वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 11/2017–राज्य कर (२), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या–554, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में उल्लिखित सारणी में क्रम संख्या 38 की प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट कर वाली सेवाओं में आती हो तो इस प्रविष्टि के उद्देश्य के लिए वस्तुओं की आपूर्ति का मूल्य ऐसी कुल आपूर्ति पर भारित सकल प्रतिशत का 70 प्रतिशत तक माना जाएगा। इस प्रकार भारित सकल प्रतिशत का बाकी 30 प्रतिशत उक्त कर वाली सेवा का मूल्य माना जाएगा।”

(viii) क्रम संख्या 243क को अब क्रम संख्या 243ख लिखा जाएगा और इस प्रकार लिखे गए 243ख के पहले निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

<table>
<thead>
<tr>
<th>“243क”</th>
<th>8714 20</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>दिव्यांग व्यक्तियों के कैरेज के भाग और सहायक उपकरण।</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
(ग) अनुसूची II - 6% मेंः

(i) क्रम संख्या 101 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्याओं और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा; यथा:-

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्रम संख्या</th>
<th>तालिका</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>“101क”</td>
<td>4502 00 00</td>
</tr>
<tr>
<td>प्राकृतिक कार्फ, डिब्बेद या रफली स्क्वायर्ड या आयातकार (वर्गिकार समेत) ब्लॉक्स, प्लेट्स, शीट्स या स्ट्रिप्स (जिसमें कार्फ का स्टारप के तेज किनारे वाले ब्लॉक्स भी आते हैं)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>“101ख”</td>
<td>4503</td>
</tr>
<tr>
<td>प्राकृतिक कार्फ की वस्तुएं जैसे कार्फ और स्टारप्स, शटल कार्फ कार्फ बॉटम</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>“101ग”</td>
<td>4504</td>
</tr>
<tr>
<td>पुंजित कार्फ (याहे इसमें जोड़े वाले पदार्थ लगे हो या नहीं) और पुंजित कार्फ की वस्तुएं:</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(ii) क्रम संख्या 102,126 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को विलोपित किया जाएगा:

(iii) क्रम संख्या 171क को अब क्रम संख्या 171क लिखा जाएगा और इस प्रकार लिखे गए क्रम संख्या 171क के पहले निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्रम संख्या</th>
<th>तालिका</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>“171क”</td>
<td>63053200</td>
</tr>
<tr>
<td>फ्लॉक्सिबल इंटरमिडिएट ब्लॉक कंटेनर;</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(iv) क्रम संख्या 173 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, शब्द और कामा “वाकिंग स्टिक्स, सीट स्टिक्स.” को विलोपित किया जाएगा:

(v) क्रम संख्या 177 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को विलोपित किया जाएगा:

(घ) अनुसूची III – 9% मेंः

(i) क्रम संख्या 121क को अब 121ख लिखा जाएगा और इस प्रकार लिखे गए 121ख के पहले निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा. यथा:-

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्रम संख्या</th>
<th>तालिका</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>“121क”</td>
<td>4012</td>
</tr>
<tr>
<td>रबर के रिट्रीटेड या प्रयोग में लाए गए न्यूमैटिक टार्स; सॉलिड या कुशन टार्स, टार्स ट्रेड और टार्स प्लैक्स, रबर के:</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(ii) क्रम संख्या 142, 143, 144 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को विलोपित किया जाएगा:

(iii) क्रम संख्या 369क में; कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, “ट्रॉसमिशन शाफ्ट्स (जिसमें केम शाफ्ट्स और फ्रेंक शाफ्ट्स भी शामिल हैं) और फ्रेंकस; बियरिंग हाउसिंगस और फ्लेन शाफ्ट बियरिंगस; गियर्स और गियरिंग, बॉल
या रोल स्दूः मिर्यार ब्राक्स और अन्य स्पीड चेंजर्स जिसमें टार्क कन्वर्टर्स भी आते हैं; फ्लाईवीडील्स और पुल्स, जिसमें पुल्स व्लॉक्स भी आते हैं; क्लिंकेस और शाफ्ट कप्लिंग (जिसमें यूनिवर्सल ज्वाइंट्स भी आते हैं) को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iv) क्रम संख्या 376कक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:

<table>
<thead>
<tr>
<th>&quot;376कक&quot;</th>
<th>8507</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>लीथियम-आयन एक्समुलेटर्ज (बेट्री से भिन्न), जिसमें लीथियम-आयन पावर बैंक भी आते हैं।</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(v) क्रम संख्या 383क में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में शब्द “टेलिविजन कैमरे”, के पश्चात कामा और शब्द “,”, डिजिटल कैमरा और वीडियो कैमरा रिकॉर्डर”, को अंतःस्थापित किया जाएगा।

(vi) क्रम संख्या 383अ में कॉलम (3) की प्रविष्टि में अंक और शब्द “68 सेंटीमीटर”, के स्थान पर अंक और शब्द “32 इंच” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(vii) क्रम संख्या 384 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में अंक और शब्द “20 इंच”, के स्थान पर अंक और शब्द “32 इंच” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(viii) क्रम संख्या 440क को अब क्रम संख्या 440 लिखा जाएगा और इस प्रकार लिखे गए 440 खे के पहले निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:

<table>
<thead>
<tr>
<th>&quot;440क&quot;</th>
<th>9504</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>वीडियो गेम कंसोल्स और मशीनें, फास्फेर की वस्तुएं, टेबल्स या पार्लर गेम्स, जिसमें पिंटेबल्स, विटियर्डेस, केन्टनो गेम्स की स्पेशल टेबल्स और ऑंटेमेंटिक बॉलिंग एलेय उपकरण भी आते हैं, जैसे वस्तुएं</td>
<td>प्लेयिंग काइड्स, ग्रंजिफा काइड्स, चेस बोर्ड, कैरेम बोर्ड और 9504 90 90 के बॉर्ड जैसे कि लूडो आदि के अन्य बॉर्ड गेम्स से भिन्न।</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(इ) अनुसूची IV – 14% में,-

(i) क्रम संख्या 47 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को विलोपित किया जाएगा।

(ii) क्रम संख्या 135 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को विलोपित किया जाएगा।

(iii) क्रम संख्या 139 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में लीथियम आयन बेट्री”, शब्दों के पश्चात “और अन्य लीथियम-आयन इक्समुलेटर्ज जिसमें लीथियम-आयन पावर बैंक भी आते हैं” को अंतःस्थापित किया जाएगा।

(iv) क्रम संख्या 151 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को विलोपित किया जाएगा।
The 31st December 2018

Notification no. 24/2018- State Tax (Rate)

S.O.278, Dated 31st December 2018—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification No.1/2017 – State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017 of Commercial Taxes Department, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number. 544, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(A) in the opening paragraph, after the words, brackets and figures “sub-section (1) of section 9”, the words, brackets and figures “and sub-section (5) of section 15”, shall be inserted;

(B) in Schedule I - 2.5%,

(i) S. Nos. 23,24 and the entries relating thereto, shall be omitted;

(ii) after S. No. 123 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:

```
<table>
<thead>
<tr>
<th>Serial No</th>
<th>Code</th>
<th>Description</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>123A</td>
<td>2515 11 00</td>
<td>Marble and travertine, crude or roughly trimmed</td>
</tr>
</tbody>
</table>
```
(iii) S. No. 198A shall be re-numbered as S. No. 198AA, and before S. No. 198AA as so re-numbered, the following serial number and entries shall be inserted, namely:

| “198A” | 4501 | Natural Cork, raw or simply prepared; |

(iv) in S. No. 224, for the entry in column (2), the entry “63 [other than 6305 32 00, 6309] shall be substituted;

(v) in S. No. 225, for the entry in column (3), the entry “Footwear of sale value not exceeding Rs.1000 per pair” shall be substituted;

(vi) for S. No. 225A and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be substituted, namely:

| “225A” | 6602 00 00 | Walking-Sticks including seat sticks |
| “225B” | 6815 | Fly ash bricks or fly ash aggregate with 90 percent or more fly ash content; Fly ash blocks; |

(vii) in S.No. 234, in the entry in column (3), the following Explanation shall be inserted in the end, namely,

“Explanation: If the goods specified in this entry are supplied, by a supplier, along with supplies of other goods and services, one of which being a taxable service specified in the entry at S.No. 38 of the Table mentioned in notification in the notification No.11/2017 – State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017 of Commercial Taxes Department, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number. 554, dated the 29th June, 2017), the value of supply of goods for the purposes of this entry shall be deemed as seventy per cent of the gross consideration charged for all such supplies. The remaining thirty per cent of the gross consideration charged shall be deemed as value of the said taxable service”;

(viii) S. No. 243A shall be re-numbered as S. No. 243B, and before S. No. 243B as so re-numbered, the following serial number and entries shall be inserted, namely:

| “243A” | 8714 20 | Parts and accessories of carriage for disabled persons; |

(C) in Schedule II - 6%,

(i) after S. No. 101 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely:

| “101A” | 4502 00 00 | Natural cork, debacked or roughly squared, or in rectangular (including square) blocks, plates, sheets or strip (including sharp-edged blanks for corks or stoppers) |
| “101B” | 4503 | Articles of natural cork such as Corks and Stoppers, Shuttlecock cork bottom |
| “101C” | 4504 | Agglomerated cork (with or without a binding substance) and articles of agglomerated cork ”; |
(ii) S.No. 102,126 and the entries relating thereto, shall be omitted;

(iii) S.No. 171A shall be re-numbered as S. No. 171AA, and before S.No. 171AA as so re-numbered, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

| 171A | 63053200 | Flexible intermediate bulk containers |

(iv) in S. No. 173, in the entry in column (3), the words and commas “walking-sticks, seat-sticks,” shall be omitted;

(v) S. No. 177 and the entries relating thereto, shall be omitted;

**in Schedule III - 9%**, 

(i) S. No. 121A shall be re-numbered as S. No. 121B, and before S. No. 121B as so re-numbered, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

| 121A | 4012 | Retreaded or used pneumatic tyres of rubber; solid or cushion tyres, tyre treads and tyre flaps, of rubber |

(ii) S. Nos. 142, 143, 144 and the entries relating thereto, shall be omitted;

(iii) in S. No. 369A, for the entry in column (3), the entry “Transmission shafts (including cam shafts and crank shafts) and cranks; bearing housings and plain shaft bearings; gears and gearing; ball or roller screws; gear boxes and other speed changers, including torque converters; flywheels and pulleys, including pulley blocks; clutches and shaft couplings (including universal joints)” shall be substituted;

(iv) after S. No. 376AA and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

| 376AAA | 8507 | Lithium-ion accumulators (other than battery) including lithium-ion power bank |

(v) in S. No. 383A, in the entry in column (3), after the words “television cameras”, the comma and words “,digital cameras and video camera recorders”, shall be inserted;

(vi) in S.No. 383C, in the entry in column (3), for the figure and word “68 cm”, the figure and word “32 inches” shall be substituted;

(vii) in S.No. 384, in the entry in column (3), for the figure and word “20 inches”, the figure and word “32 inches” shall be substituted;

(viii) S. No. 440A shall be re-numbered as S. No. 440B, and before S. No. 440B as so re-numbered, the following serial number and entries shall be inserted, namely:

| 440A | 9504 | Video game consoles and machines, articles of funfair, table or parlour games, including pintables, billiards, special tables for casino games and automatic bowling alley equipment [other than playing cards, ganjifa card, chess board, carom board and other board games of 9504 90 90 like ludo etc.]|
in Schedule IV - 14%.

(i) S. No. 47 and the entries relating thereto, shall be omitted;
(ii) S. No. 135 and the entries relating thereto, shall be omitted;
(iii) in S. No. 139, in the entry in column (3), after the words “other than Lithium-ion battery”, the words “and other lithium ion accumulators including lithium ion power banks” shall be inserted;
(iv) S. No. 151 and the entries relating thereto, shall be omitted;
(v) in S. No. 154, in the entry in column (3), for the figure and word “20 inches” and the figure and word “68 cm”, both, the figure and word “32 inches” shall be substituted;
(vi) for S. No. 174 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be substituted, namely:

| “174” | 8714 | Parts and accessories of vehicles of heading 8711 |

(vii) S. No. 215 and the entries relating thereto, shall be omitted.

2. This notification shall come into force on the 1st January, 2019.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-4) 7265)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima.

Commissioner State Tax -cum-Secretary.